अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/68/2019-20 **09 दिसंबर, 2019**

सेवा में,

श्री पी.के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री राकेश कुमार यादव निवासी गांव कटरा, पोस्ट चदरा जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का 28.11.2019 का पत्र इस सचिवालय में 03.12.2019 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. सं. 51एफ 059622 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत इस सचिवालय को 30.10.2019 को प्रेषित अपने पत्र, जिसे इस सचिवालय द्वारा श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उचित कार्रवाई हेतु अग्रसारित कर दिया था, पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है, चूंकि इनके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री राकेश कुमार यादव निवासी गांव कटरा, पोस्ट चदरा जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

SPEED POST
10/12/19

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस 18/11/2019 (P)

18 नवम्बर, 2019

श्रीयुत मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

प्रिय महोदय,

श्री राकेश कुमार यादव, गांव-कटरा, पोस्ट-चदरा, जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश का दिनांक 30.10.2019 का पत्र इस सचिवालय में 08.11.2019 को प्राप्त हुआ है। प्रार्थी ने साक्षरता विकलांग प्रेरक को अकारण हटाये जाने तथा बकाया मानदेय नहीं देने के संबंध में अनुरोध किया है। अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)

प्रति सूचनार्थ -
श्री राकेश कुमार यादव, गांव-कटरा, पोस्ट-चदरा, जिला-बहराइच, उत्तर प्रदेश का है।

कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील
(हुरबी शकील)